



Neutral Citation No. - 2026:AHC:58491

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 10544/2026

सूर्याश एवं एक अन्य

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : वेद प्रकाश सिंह, वीर प्रताप सिंह

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण को सुना, जिन्होंने पूरक हलफनामा दायर किया है, जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया है और राज्य-प्रत्यर्थीगम के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता हैं।
2. वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्तागण ने परमादेश की प्रकृति में एक रिट के लिए प्रार्थना की है जिसमें प्रत्यर्थीगम को उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप न करने और सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देने का प्रार्थना किया गया है।
3. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि दोनों याचिकाकर्ता अविवाहित हैं और वे लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। उन्हें अपनी जान को खतरा है। इसलिए, याचिकाकर्तागण ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह रिट याचिका दायर की है ताकि पुलिस अधिकारियों को निजी प्रत्यर्थीगम से अपने जीवन की रक्षा करने के लिए एक निर्देश जारी किया जा सके।



4. मैंने याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रत्यर्थीगण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना है।

5. इस न्यायालय ने रिट-सी संख्या 35171/2025 (आकांक्षा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और तीन अन्य) निर्णीत दिनांक 17.12.2025 को फैसला सुनाया है, जिसमें उसी विवाद से निपटा गया है। वर्तमान प्रकरण के तथ्य आकांक्षा (पूर्वोक्त) के तथ्यों के समान हैं। इसलिए वर्तमान रिट याचिका का निस्तारण निम्नलिखित शर्तों में किया जा रहा है।

6. एक बार जब कोई व्यक्ति, जो एक बालिग है, ने अपने साथी को चुन लिया है, तो यह किसी अन्य व्यक्ति के लिए नहीं है, चाहे वह परिवार का सदस्य हो, उनके शांतिपूर्ण अस्तित्व पर आपत्ति करने और बाधा उत्पन्न करने के लिए। प्रत्येक नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य का परम कर्तव्य है, जो उस पर लगाए गए संवैधानिक दायित्वों के अनुसार है। मानव जीवन के अधिकार को बहुत अधिक उच्च स्तर पर माना जाना चाहिए, भले ही कोई नागरिक नाबालिग या बड़ा, विवाहित या अविवाहित हो। केवल तथ्य यह है कि याचिकाकर्तागण ने विवाह नहीं किया है, उन्हें भारत के नागरिक होने के नाते भारत के संविधान में परिकल्पित उनके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। इस न्यायालय को यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक का मौलिक अधिकार बहुत अधिक ऊंचे पायदान पर खड़ा है। पवित्र होने के नाते, संवैधानिक योजना के तहत इसे संरक्षित किया जाना चाहिए, भले ही विवाह संपन्न हो या यहां तक कि पक्षों के बीच किसी भी विवाह की अनुपस्थिति हो।

7. यहां याचिकाकर्ता, जो बालिग हैं, ने विवाह की पवित्रता के बिना एक साथ रहने का निर्णय लिया है और यह अदालतों का काम नहीं है कि वे अपने फैसले पर उनका न्याय करें। यदि याचिकाकर्तागण ने यहां कोई अपराध नहीं किया है, तो इस न्यायालय को कोई कारण नहीं दिखता है कि सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनकी प्रार्थना को स्वीकार क्यों नहीं किया जा सकता है।

8. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ता शांति से एक साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं और किसी भी व्यक्ति को उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चूंकि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुनिश्चित किया गया एक मौलिक जीवन है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. यदि याचिकाकर्तागण के शांतिपूर्ण जीवन में कोई गड़बड़ी होती है, तो याचिकाकर्ता इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ संबंधित पुलिस आयुक्त/एसएसपी/एसपी से संपर्क करेंगे और पुलिस अधिकारी इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि याचिकाकर्ता बड़े हैं और स्वेच्छा से एक साथ रह रहे हैं, याचिकाकर्तागण को तत्काल सुरक्षा प्रदान करेंगे। यदि याचिकाकर्ता शिक्षित हैं और वे अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र और कानून के तहत स्वीकार्य अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि उन्होंने बहुमत प्राप्त कर लिया है और वे अपनी स्वतंत्र इच्छा के साथ रह रहे हैं, तो कोई भी पुलिस अधिकारी उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा जब तक कि किसी भी अपराध के संबंध में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। यदि उनके पास उम्र के संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है और वे ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और या अनपढ़/अर्ध-साक्षर हैं, तो पुलिस अधिकारी ऐसे लड़के या लड़की को उनकी सही उम्र को सत्यापित करने के लिए अस्थि-पंजर परीक्षण करा सकता है और वह कानून के तहत अनुमत अन्य प्रक्रिया का भी पालन कर सकता है।

10. तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

20 मार्च, 2026

निर्देश